

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-13 / 2018 /

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती शकुन्तला कुमारी, नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनू का परिवीक्षाकाल में इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 08.05.2017 से 28.05.2017 तक 21 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-13 / 2018 / 689

दिनांक:- 16-5-2018

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनू ।
3. श्रीमती शकुन्तला कुमारी, नर्स-2, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर